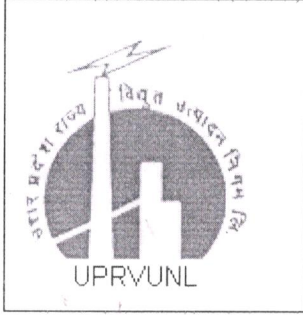




U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
12th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
यू० पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14. अशोक मार्ग, लखनऊ. 226001
CIN-U31901UP1985SGC007135



संख्या: 94-उनिलि/रिफार्म/eOffice(R022)Comp.No.49640/अनुशासन एवं अपील/2025

दिनांक: 27/05/2025

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 27.05.2025 को परिचालन विधि से पारित निर्णय के अनुपालन में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०: 422-काविनी एवं विनियम-29/पाकालि/2025/Com.No. 31776 दिनांक 23.05.2025 की समरूपता में निगम में प्रचलित "उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली-2021 (यथा संशोधित)" के अन्तर्गत नियम-7क का समावेश एतद्वारा किया जाता है-

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील)

(तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2025

(विद्युत गृह/विद्युत प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न करने अथवा प्रयास करने पर शास्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में विशेष नियम)

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	(1) यह नियमावली 'उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) (तृतीय संशोधन) विनियमावली-2025' कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम-7क	<i>विद्युत गृह/विद्युत प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न करने अथवा प्रयास करने पर शास्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में विशेष नियम।</i>

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली-2021(यथा संशोधित) में निम्नवत् उपबन्ध को नियम-7क के रूप में सम्मिलित किया जाता है:-

नियम-7क

- (1) विद्युत आपूर्ति एक आवश्यक सेवा है एवं वर्तमान समय में जीवन के संचालन के लिए नितान्त आवश्यकता भी है। सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति जनसामान्य के साथ-साथ सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों एवम् संस्थानों तथा अति महत्वपूर्ण संस्थानों यथा चिकित्सालय, मेडिकल कालेज, मा० न्यायालय, रेल यातायात, एयरपोर्ट, कारागार, डाटा सेन्टर, बैंक व वित्तीय प्रणाली, संचार व्यवस्था, इन्टरनेट, रक्षा प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, पुलिस व सुरक्षा व्यवस्था, जल आपूर्ति आदि के संचालन के लिए भी अपरिहार्य है। इन प्रतिष्ठानों की विद्युत आपूर्ति बाधित होने से जनसामान्य के सामान्य क्रियाकलापों के साथ ही स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा

कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति बाधित होने से Public unrest होने के कारण सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान के साथ ही लोकशांति भंग होने की भी प्रबल आशंका होती है।

- (2) इन्हीं कारणों से विद्युत प्रणाली (Electrical System) व विद्युत अवस्थापना (Electrical Infrastructure) आधुनिक समाज की परिकल्पना के लिए एक बुनियादी अवस्थापना (Critical Infrastructure) है। इसके संचालन में बाधा, तोड़ फोड़ अथवा विद्युत आपूर्ति में व्यवधान पहुंचाने की अनुमति या अवसर किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन अथवा समूह को किसी भी कारण से नहीं दिया जा सकता।
- (3) समय-समय पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए विद्युत प्रणाली तथा इससे सम्बंधित सार्वजनिक कम्पनियों से सम्बन्धित विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, कार्मिकों एवं व्यक्तियों द्वारा कार्य बहिष्कार एवं हड़ताल का आह्वान किया जाता है। इसमें विद्युत उत्पादन/आपूर्ति को बाधित कर अथवा बाधित करने का प्रयास कर अथवा बाधित करने की धमकी देकर शासन व्यवस्था पर अनुचित दबाव डालकर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के कृत्य द्वारा ये संगठन विद्युत उत्पादन/आपूर्ति में बाधा को एक हथियार की तरह से इस्तेमाल करते हैं एवं जनमानस के लिए अति आवश्यक मूल भूत सुविधा को बाधित कर अथवा बाधित करने की आशंका उत्पन्न कर सम्पूर्ण समाज के लिए कठिनाई उत्पन्न करते हैं। किसी भी सभ्य समाज में किसी भी समूह एवं व्यक्ति को समाज को इस प्रकार से अनुचित दबाव में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिससे की विद्युत उत्पादन/आपूर्ति की व्यवस्था Paralyze (अपंग) हो जाये एवं जन सामान्य तथा महत्वपूर्ण संस्थानों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो।
- (4) इसी सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज द्वारा माह दिसम्बर 2022 में हड़ताल/कार्य बहिष्कार के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत् आदेशित किया गया है : -

It is expected that the Power Department shall ensure that the power supply is not disrupted and if it is disrupted in any manner, then strict action is taken. (PIL no. 2349 of 2022 order date 06.12.2022)

- (5) जनहित में अविलम्ब विद्युत उत्पादन/आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विद्युत प्रणाली में बाधा उत्पन्न करने के कृत्यों में संलिप्त कार्मिक या कार्मिकों के विरुद्ध तत्काल कठोरतम कार्यवाही अपेक्षित होती है, जिससे ऐसी गतिविधियों को नियन्त्रित किया जा सके एवं अन्य को भी ऐसे अवैधानिक कार्य करने से हतोत्साहित किया जा सके।
- (6) किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन के आह्वान पर कार्मिक यदि कार्य बहिष्कार अथवा हड़ताल अथवा इसी प्रकार की गतिविधि में भाग लेते हैं, जिससे कि तोड़ फोड़ कर अथवा अन्य गतिविधियों से विद्युत उत्पादन/आपूर्ति की रूकावट की आशंका हो, तो ऐसी स्थिति में यदि इन कृत्यों में संलिप्त कार्मिक या कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित अथवा संस्थित की जाती है तो सामान्यतः यह स्थिति बनती है कि जांच करने वाला अधिकारी ही आन्दोलनरत संगठन का सदस्य हो या आन्दोलनकारियों की मांगों से स्वयं ही सहानुभूति रखता हो अथवा परोक्ष रूप से आन्दोलन का समर्थन कर रहा हो। परिणामस्वरूप ऐसे प्रकरणों में या तो जांच करना संभव नहीं हो पाता है अथवा जांच में अनावश्यक विलम्ब होता है जिससे जांच व अनुशासनात्मक कार्यवाही की उपादेयता ही समाप्त हो जाती है।

- (7) इस विशेष परिस्थिति के समाधान की दिशा में बिना जांच कारित किये अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद-311 में निम्नवत् व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है :-

अनुच्छेद-311 : संघ या राज्य के अधीन सिविल क्षमता में नियोजित व्यक्तियों की बर्खास्तगी (Dismissal), हटाया जाना (Removal) या पद में अवनति (Reduction in Rank)

(1) किसी व्यक्ति को, जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उस प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा जो उस प्राधिकारी के अधीनस्थ है जिसने उसे नियुक्त किया था।

(2) पूर्वोक्त किसी व्यक्ति को, जांच के पश्चात ही पदच्युत किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा या पद में अवनत नहीं किया जाएगा, जिसमें उसे उसके विरुद्ध आरोपों की जानकारी दे दी गई हो और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो।

परन्तु जहां ऐसी जांच के पश्चात उसपर कोई शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव है, वहाँ ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित शास्ति के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा :

बशर्ते कि यह खंड निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा -

(क) जहाँ किसी व्यक्ति को उसके आचरण के आधार पर बर्खास्त किया जाता है या हटाया जाता है या उसके पद में कमी की जाती है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है, या

(ख) जहाँ किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या हटाने या उसे पदावनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जिसे उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से दर्ज किया जाएगा, ऐसी जांच करना युक्तिसंगत रूप से व्यवहार्य नहीं है, या

(ग) जहाँ, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना समीचीन नहीं है।

(3) यदि पूर्वोक्त किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि खंड (2) में निर्दिष्ट जांच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य है या नहीं तो ऐसे व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या उसे पदावनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

- (8) यदि किसी कार्मिक या कार्मिकों द्वारा :

(क) हड़ताल अथवा कार्य बहिष्कार, वर्क टू रूल, पेन डाउन, गो स्लो आदि नामक कार्यवाही की जाय (जो अप्रत्यक्ष रूप से हड़ताल का ही एक स्वरूप है) या इन्हीं प्रकार की कार्यवाही का प्रयास किया जाय या आह्वान किया जाय जिससे हड़ताल या हड़ताल जैसी परिस्थिति पैदा हो रही हो, जिससे नियमित विद्युत आपूर्ति बनाये रखने में बाधा उत्पन्न हो अथवा होने की आशंका हो।

(ख) महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना (Critical Infrastructure) या विद्युत संयंत्र आदि, को क्षति पहुंचायी जाये या क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाये अथवा इनके अनुरक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न की

जाये अथवा विद्युत प्रणाली के समुचित संचालन, अनुरक्षण आदि के कार्यों के सम्पादन में कर्तव्यों में लापरवाही की जाये अथवा अपेक्षानुसार दायित्वों का निर्वहन न किया जाये।

(ग) अन्य कार्मिकों को उक्त कृत्यों हेतु प्रेरित करने का प्रयास अथवा आह्वान किया जाये या किये जाने की आशंका प्रतीत होती हो।

ऐसी परिस्थितियों में यदि नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि सम्बन्धित कार्मिक को नियम-7 के अन्तर्गत पदच्युत (Dismissal), सेवा समाप्ति (Removal) या पदावनति (Reduction in Rank) का वृहद दण्ड दिये जाने की आवश्यकता है तथा किन्ही कारणों से (जिनका उल्लेख किया जाये) नियम-7 के अन्तर्गत जांच करना सम्भव नहीं है तथा विद्युत उत्पादन/विद्युत आपूर्ति/विद्युत प्रणाली में विद्युत व्यवधान की आशंका है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस कार्मिक को पदच्युत (Dismissal from service which disqualify for future Employment) या सेवा समाप्ति (Removal) या पदावनति (Reduction in Rank) का दण्ड दिया जा सकेगा।

यह कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी के अतिरिक्त उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी की जा सकेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पर नियुक्ति अधिकारी अथवा उपरोक्त प्रकार से आदेश करने वाला अधिकारी सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक से कम स्तर का अधिकारी हो, वहां पर जारी किये जाने वाले आदेश का प्रबन्ध निदेशक से यथा शीघ्र कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

ii) “उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली-2021(यथा संशोधित)” सभी संशोधनों सहित समग्रता में उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के दोनों स्कन्धों (तापीय व जलीय) में प्रभावी होगी।

iii) उपरोक्तानुसार, संशोधनोंपरान्त निगमादेश संख्या: 123/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:195-195. 23/अनुशासन एवं अपील/2021, दिनांक 29.07.2021 द्वारा निर्गत “उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक(अनुशासन एवं अपील) विनियमावली-2021(यथा संशोधित)” उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी एवं विनियमावली के अन्य समस्त प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

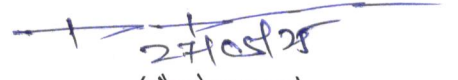
संख्या: 94-उनिलि/रिफॉर्म/eOffice(R022)Comp.No.49640/अनुशासन एवं अपील/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्रबं० एवं प्रशा०/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र/झाँसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर०एण्ड०एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव-परियोजना, यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लॉक, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, टी0 सी0-46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), प्रगति इकाई, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0)/मुख्य अभियन्ता(परि0 एवं अनु0), जल विद्युत स्कन्ध, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0-01/03/04/05/06/रिफॉर्म/टा0वा0से0/प्रशिक्षण), उ0नि0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0-02/औ0सं0/वित्त एवं लेखा), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

आज्ञा से,



(कौशलेन्द्र कुमार)

अधिशाली अभियन्ता (रिफॉर्म)